कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री आनन्द चौबे, 61 डी / 3 बी, ओमगायत्री नगर, तेलीयरगंज, सलोरी, इलाहाबाद ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**060 / 13, 17.12.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री आनन्द चौबे ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री आनन्द चौबे, 61 डी / 3 बी, ओमगायत्री नगर, तेलीयरगंज, सलोरी, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 17.12.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' सोया मिल्क से बने पनीर (Tofu) '' पर कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री आनन्द चौबे उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि दूध एवं सोया मिल्क से पनीर बनाने की प्रक्रिया एक समान है तथा दोनों प्रकार के पनीर में प्रोटीन इत्यादि पाया जाता है । मिल्क के एक प्रकार में सोया मिल्क भी होता है जिसके कारण सोया मिल्क से बने पनीर पर कर की दर प्राकृतिक मिल्क से बने पनीर की भाँति 4% ही होना चाहिए ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद दारा पत्र संख्या-2416, दिनांक 21.01.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि नोटिफिकेशन संख्या-KN.NI.-2-3121 / XI....दिनांक 24.12.2007 (S.NO.2) By Which VAT Ordinace has been made operative के अनुसार अनुसूची-II A के क्रमांक-81 पर '' मिल्क फूड एण्ड मिल्क प्रोडक्ट जिसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर, टिन, बोतल में बन्द अथवा पैकिंग किया हुआ एवं फ्लेवर्ड मिल्क, यू0 एच0 टी0 मिल्क, मिल्क पाउडर, बेबी मिल्क फूड खोया / खोआ, पनीर, चीज, क्रीम, घी मक्खन '' पर 4% की दर से करदेयता है । इस प्रकार सोया मिल्क से बने पनीर का उक्त नोटिफिकेशन में अंकन न होने के आधार पर अवर्गीकृत वस्तु मानते हुए 12.5% की करदेयता होनी चाहिए ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-81 पर Milk food & milk products से सम्बन्धित अंकित प्रविष्टि में जिन वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है अथवा इसमें Milk शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसका आशय प्राकृतिक '' डेयरी मिल्क '' से है । उक्त प्रविष्टि से कोई भी कृत्रिम या बनावटी मिल्क आच्छादित नहीं है । इन्टरनेट पर Medindia नामक वेबसाइट पर Types of Milk का विवरण दिया हुआ है जिसमें Toned milk, Double toned milk, Recombined milk, Filled milk, Flavoured milk, Standardized milk, Whole milk, Reduced-fat milk, Low-fat milk तथा Skimmed milk / non-fat milk का विवरण दिया गया है । इनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसमें किसी भी टाइप का मिल्क, सोया मिल्क से आच्छादित अथवा निर्मित प्रतीत नहीं हो रहा है । Wikipedia डिक्शनरी में Soy milk की परिभाषा निम्न प्रकार दी गयी है :-

....2

सर्वश्री आनन्द चौबे / प्रा0 पत्र सं0-060 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-2

Soy milk (also called soya milk, soymilk, soybean milk, fake milk, Syo milk or soy juice and sometimes referred to as soy drink / beverage) is a beverage made from soybeans. A traditional staple of Asian cuisine, it is a stable emulsion of oil, water, and protein.

इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि सोयाबीन से बने हुए वेवरेज को दूध के समान सफेद होने के कारण सोया मिल्क कहा जाता है। यह वस्तु एशियाई पाकशाला का एक पारम्परिक घटक है।

उक्त से स्पष्ट है कि सोया मिल्क से बने पनीर जिसका व्यवसायिक नाम '' Tofu '' है किसी भी रूप में अनुसूची-II, भाग-ए की प्रविष्टि संख्या-81 से आच्छादित नहीं है। वस्तुत: '' Tofu '' नामक पदार्थ सोयाबीन से बने हुए सफेद तैलीय द्रव से उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए बनाया जाता है जिस प्रक्रिया से प्राकृतिक '' डेयरी दूध '' से पनीर बनाया जाता है, किन्तु दोनों पदार्थ भिन्न हैं। अत: '' Tofu '' (सोया मिल्क पनीर) पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत न होने के कारण इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए की प्रविष्टि संख्या-81 पर विभिन्न प्रकार के मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट उल्लिखित हैं, इनमें कहीं भी सोया मिल्क एवं इसके प्रोडक्ट का उल्लेख नहीं है। सोया मिल्क सामान्य व्यापार जगत में तथा बोलचाल की भाषा में सामान्य दूध (Milk) से भिन्न माना जाता है। सोया मिल्क से बना पनीर '' Tofu '' कहलाता है, जो दूध के बने पनीर से भिन्न होता है। अत: '' Tofu '' (सोया मिल्क पनीर) उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए की प्रविष्टि संख्या-81 में अंकित Milk food & milk products से आच्छादित नहीं है। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत न होने के कारण इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 12 फरवरी, 2014

ह0 / 12.02.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।